भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3374
गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

जीपीएस अवरोध और नेविगेशन की सटीकता में कमी

3374. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ओपीएस ग्रुप और जीपीएस जैम पोर्टल/वेबसाइट से संबंधित रिपोर्टों के बारे में जानकारी है जिसमें पाकिस्तान और म्यांमार के साथ लगने वाली भारत की सीमाओं पर जीपीएस में व्यवधान, जिसमें स्पूफिंग और नेविगेशन की सटीकता में कमी शामिल है, के लिए शीर्ष पांच वैश्विक क्षेत्रों में से एक बताया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट यात्री विमानों को प्रभावित करने वाले जीपीएस में व्यवधान उत्पन्न होने की घटनाओं की संख्या कितनी है;
(ग) उन्नत एंटी-जैमिंग और एंटी-स्पूफिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित ऐसे व्यवधान से उत्पन्न सुरक्षा जोखिमों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार जीपीएस व्यवधान को दूर करने और उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार संवेदनशील सीमा क्षेत्रों के निकट परिचालन करने वाले यात्री और मालवाहक विमानों को नेविगेशन व्यवधानों से बचाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): कई एयरलाइनों ने रिपोर्ट दी है कि अमृतसर और उसके आसपास उड़ान भरने वाले विमानों में जीपीएस/ जीएनएसएस व्यवधान का अनुभव हुआ है।

"हवाई क्षेत्र में जीएनएसएस हस्तक्षेप" के संबंध में दिनांक 24.11.2023 के डीजीसीए परिपत्र एएनएसएस एसी 01/2023 के अनुसार, जीपीएस हस्तक्षेप/ स्पूफिंग की घटनाओं की रिपोर्ट नवंबर 2023 से की जा रही हैं।

नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमा क्षेत्र में लगभग 465 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकतर अमृतसर/ जम्मू क्षेत्र में हैं।

जिन स्थानों पर जीपीएस हस्तक्षेप की लगातार रिपोर्टें आती हैं, वहां एविएटरों को 'नोटिस टू एयरमैन' (नोटम) जारी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जीपीएस/ स्पूफिंग हस्तक्षेप की घटनाओं से निपटने के लिए संबंधित एयरलाइनों द्वारा विभिन्न एसओपी जारी किए जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय संघ सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) की सर्वोत्तम परिपाटियों को उद्योग के लिए डीजीसीए परिपत्र/ दिशानिर्देशों के रूप में लागू किया जा रहा है।

साथ ही, वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार, भू-आधारित दिक्चालन अवसंरचना को बनाए रखा गया है, ताकि जीपीएस हस्तक्षेप का अनुभव होने की स्थिति में एविएटर सामान्य दिक्चालन पुनः शुरू कर सकें।

*****